मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
मंत्रालय, भोपाल

-: अधिसूचना :-

भोपाल दिनांक / /2005

क्रमांक एफ–4–70/सं. /30/93 :: मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1985 के भाग 4 (ग) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2101/30/सांवि./दिनांक 22 अगस्त 1985 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:–

नियम

1. यह योजना ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु अर्थाभावग्रस्त है, और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रितों को, जो कि अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये है, वित्तीय सहायता की योजना कहलायेगी।

2. पात्रता:

(एक) निम्नलिखित व्यक्ति वित्तीय सहायता के पात्र होंगे:

(क) 60 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति, जिसका कला तथा साहित्य के प्रति योगदान महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हो।

(ख) परम्परागत विद्वान, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, भले ही उनका कोई ग्रंथ प्रकाशित न हुआ हो।

(ग) आश्रित (अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित दिवंगत लेखक या कलाकार की विधवा पत्नी और नाबालिग बच्चे) विशेष परिस्थितियों में पूर्णतः आश्रित वृद्ध पिता, माता नाबालिग भाई और बहिन, जो दिवंगत लेखक/कलाकार के साथ रहते थे और उनकी आय का कोई स्त्रोत न हो।

(दो) ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जबकि उनकी मासिक आय निम्नलिखित से अधिक न हो–

	मासिक आय की अधिकतम सीमा
1. परिवार के अकेले सदस्य के लिए	1500/– (पन्द्रह सौ रुपये)
2. दो सदस्यों के लिये	2000/– (दो हजार रुपये)
3. तीन या अधिक सदस्यों के लिये	3000/– (तीन हजार रुपये)

निरन्तर....2

(क) परंतु आय की अधिकतम सीमा का पुनर्निधारण प्रत्येक तीसरे वर्ष नियम 11 में उल्लेखित समिति के परामर्श से विभाग द्वारा यथा समय जारी अधिसूचना के अनुसार किया जा सकेगा।

(ख) अनुदान पाने वाले की आर्थिक स्थिति का सत्यापन प्रतिवर्ष संबंधित कलेक्टर को सिफारिश/आवेदक के निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-तीन) में शपथ पत्र के आधार पर संस्कृति संचालक द्वारा किया जाएगा तथा प्रति तीसरे वर्ष नवीनीकरण के समय प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा।

(ग) परिवार में केवल पत्नी /पति तथा नियम 2 (एक) (ग) में उल्लिखित आश्रित व्यक्ति ही परिवार के सदस्य माने जावेंगे।

(घ) यदि वर्ष के दौरान आवेदक की आय तथा आश्रितों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से तत्काल संचालक संस्कृति को दी जाए,

योजना के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर यदि आवेदक/हितग्राही की स्वीकृति के समय आय तथा आश्रितों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो प्रकरण पुनर्विचार के लिए क्रियान्वयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3. सहायता का स्वरूपः- इस योजना के अंतर्गत साहित्यकार/कलाकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की न्यूनतम राशि 800/- रूपये तथा अधिकतम राशि 1500/- रूपये मासिक होगी।

4. सहायता राशि में वृद्धिः- यदि सहायता पाने वाला व्यक्ति सहायता राशि में वृद्धि के लिये आवेदन करे, तो शासन नियम 11 में उल्लेखित समिति/कार्यकारी समिति की सिफारिश पर नियम 3 में उपबंधित सीमा तक सहायता राशि में वृद्धि कर सकेगा।

5. वितरण प्राधिकारीः- इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन समिति द्वारा मंजूर वित्तीय सहायता की राशि का भुगतान संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

6. सहायता की अवधिः- नीचे दिये गये नियम 8 के उपबंध के अधीन इस योजना के अंतर्गत मंजूर आवर्ती मासिक सहायता ऐसी अवधि तक दी जाती रहेगी, जो क्रियान्वयन समिति द्वारा निश्चित की जाए।

7. सहायता का नवीकरणः- (1) यदि सहायता पाने वाला व्यक्ति-

(क) अपने जिले के कलेक्टर की मार्फत वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट दो) में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और संबंधित कलेक्टर उसकी सिफारिश करें, अथवा

निरन्तर.....3

(ब) अपनी तथा अपने आश्रितों की आय के संबंध में विधिवत शपथ पत्र (Affidavit) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट तीन) में प्रस्तुत करें। यो सहायता ऐसी अवधि तक जारी रखी जा सकेगी जो शासन द्वारा निश्चित की जाए।

(2) 65 वर्ष या उससे अधिक आयु और ऐसे स्थायी रूप से विकलांग जो आजीविका का साधन जुटाने में असमर्थ हैं, आवेदकों के संबंध में यह सहायता आजीवन होगी।

8. सहायता बंद किया जाना:- यदि सहायता पाने वाले के वित्तीय साधन सुधर जायें और उन्हें नियम (2) (दो) में उपबंधित आय से अधिक आमदनी होने लगे या कार्यकारी समिति का अन्यथा समाधान हो जाए तो इस योजना के अंतर्गत सहायता देना किसी भी समय बंद किया जा सकेगा।

9. मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को सहायता:- सहायता पाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को मंजूर अवधि की असमाप्त अवधि तक सहायता पाने की अनुमति दी जा सकेगी, इसके बाद सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रित को नियम 10 में निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा।

नियम 10 अनुदान पाने के लिए आवेदन करने का तरीका

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र संस्कृति संचालक, म.प्र. भोपाल को निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट (एक) में उस जिले के कलेक्टर के मार्फत जिसमें आवेदक निवास करता हो, भेजे जा सकेंगे।

साहित्यकारों/कलाकारों/आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में साहित्य, कला एवं संस्कृति के प्रतिष्ठित विद्वानों की समिति गठित की जाएगी जिसमें एक हिन्दी का साहित्यकार, एक उर्दू का साहित्यकार एक संगीतज्ञ, जिला जनसंपर्क अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक सदस्य होंगे। ऐसी समिति प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनर्गठित की जायेगी। इस प्रकार गठित समिति की जानकारी संचालक, संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश को दी जाना चाहिये। इस समिति द्वारा बैठक में प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और अपने-अपने क्षेत्र में आवेदक की सेवा, वित्तीय स्थिति एवं उनकी आयु को देखते हुए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की सिफारिश की जाएगी।

संबंधित कलेक्टर सिफारिश करने के पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण एवं स्पष्ट हो और आवेदक की कृतियों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए आवेदक को वित्तीय सहायता देने के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत देंगे। जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संस्कृति संचालनालय को भेजा जाएगा।

निरन्तर.....4

यदि कोई साहित्यकार/कलाकार/आश्रित स्वयं आवेदन नहीं करता और उसकी जानकारी प्रतिष्ठित कला/साहित्य संस्था या साहित्यकार/कलाकार के माध्यम से शासन या संचालक, संस्कृति को मिलती है तो ऐसे मामलों में नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद प्रकरण पर निर्णय लेने के लिये क्रियान्वयन समिति को भेजेंगे।

नियम–11 योजना का क्रियान्वयन

निम्नलिखित समिति योजना के संबंध में नीति विषयक सुझाव देगी तथा स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की भी सिफारिश करेगी इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी।

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त/अथवा उनके द्वारा मनोनीत उप सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
3.	उप सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
4.	शासन द्वारा नामांकित कलाकार/साहित्यकार/संगीतकार (प्रत्येक विधा का एक विद्वान)	सदस्य
5.	म.प्र. संस्कृति परिषद् के अधीनस्थ अकादमियों के निदेशक	सदस्य
6.	संचालक, संस्कृति संचालनालय	सदस्य/सचिव

क्रियान्वयन समिति योजना के कार्यान्वयन के लिये निम्नानुसार एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी:-

कार्यकारी समिति

1.	संचालक, संस्कृति संचालनालय	अध्यक्ष
2.	उप सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
3.	कला/साहित्य/संगीत क्षेत्र के विद्वान प्रत्येक विधा में एक, जिन्हें शासन द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य
4.	म.प्र. संस्कृति परिषद् के अधीनस्थ परिषद्/अकादमी के निदेशक जिन्हें शासन द्वारा क्रियान्वयन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया हो।	सदस्य
5.	उप संचालक, संस्कृति संचालनालय	सदस्य सचिव

क्रियान्वयन और कार्यकारी समिति के अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से स्थान रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये नये सदस्य को शासन द्वारा नामांकित किया जा सकेगा।

निरन्तर.....5

उपर्युक्त कार्यकारी समिति मासिक सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म जांच कर नियम 3 में उल्लेखित अनुसार सहायता राशि स्वीकृत या सहायता राशि में वृद्धि स्वीकृत कर सकेगी एवं आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त व्यक्तियों के प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सकेगी।

क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत या स्वीकृत सहायता राशि में वृद्धि कर सकेंगे।

ऐसे प्रकरणों में, जिनकी सूक्ष्म जांच के पश्चात् कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आवेदक की पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो गये हों और उन्हें यह समाधान हो गया हो कि आवेदक को तत्काल सहायता आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिकतम छः माह की अवधि के लिये अथवा समिति की अगली बैठक की तिथि तक के लिए नियम एवं पात्रतानुसार न्यूनतम मासिक सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे किन्तु ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाऐंगे।

12. नियमों में किसी नियम को शिथिल करने का अधिकार शासन को होगा।
13. अंतिम निर्णयः– वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।
14. ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे।
15. यह नियम वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 552/आर-1033/ब-2 दिनांक 29.7.05 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रेनू तिवारी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृ. क्र. ~~/2004/सं./30~~ F4-70/93/9/30

भोपाल दिनांक 18/8/2005

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
3. संचालक, संस्कृति म.प्र. भोपाल।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल। कृपया अधिसूचना म.प्र. राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 प्रतियां विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग